

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(बी) के संदर्भ में सूचना

इंजीनियरी विभाग

उप सेक्शन	मांगी गई जानकारी	अभ्युक्ति
4(b) (i)	संगठन के कार्यों और कर्तव्यों का विवरण	<p>इंजीनियरी विभाग, विजयवाड़ा मंडल मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, विजयवाड़ा-520001. व.मंडंजी/समन्वयन/विजयवाड़ा: विजयवाड़ा मंडल के समस्त सिविल इंजीनियरी विभागों के प्रभारी, कुल 6 अधिकारी यानि वमंडंजी/उत्तर/विजयवाड़ा, वमंडंजी/दक्षिण/विजयवाड़ा, मंडंजी/सेंट्रल/विजयवाड़ा, मंडंजी/पूर्व/विजयवाड़ा, मंडंजी/पुल/ विजयवाड़ा और मंडंजी/सामान्य/विजयवाड़ा के सहयोग से कार्यरत है. वरिष्ठ मंडल इंजीनियरों, मंडल इंजीनियरों के अधिकार क्षेत्र के तहत विभिन्न कार्य और कर्तव्य जैसे ट्रैक, भवन, पुल और अन्य संरचनाओं का निरीक्षण और रखरखाव आदि शामिल है.</p>
4(b) (ii)	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	<p>अधिकारी: 1) उनके अधिकार क्षेत्र के तहत स्थायी रेलपथ कार्यों का और सिविल इंजीनियरी कार्यों का निरीक्षण, रखरखाव और क्रियान्वयन. 2) शक्तियों की अनुसूची में निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार प्रखलनों की स्वीकृति.</p> <p>कर्मचारी: 1) दैनिक रखरखाव कार्य और विशेष कार्यों में भाग लेना. 2) उच्च आधिकारिक अनुदेशों का कार्यान्वयन. 3) स्वीकृत कार्यों के लिए योजना, प्राखलन और निविदा कार्यक्रम तैयार करना. 4) मुख्यालय से संबंधित पत्राचार के लिए उत्तर तैयार करना. विवरण के लिए कृपया लिंक का अनुसरण करें: https://indianrailways.gov.in/railwayboard/view_section.jsp?lang=0&id=0,5,377</p>

4(b) (iii)	पर्यवेक्षण के चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया	मुख्य रूप से, निर्णय लेना केवल रेलवे बोर्ड द्वारा जारी विभिन्न परिपत्र और दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा जारी शक्तियों की अनुसूची के आधार पर होता है. कोई भी निर्णय संबंधित नियमावली में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लिया जा सकता है और बिना किसी विचलन के तदनुसार आगे के कार्य किया जा सकता है. यदि कोई विचलन होता है, तो संबंधित कर्मचारी जवाबदारी होता है.
4(b) (iv)	कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड	<ol style="list-style-type: none"> 1) मंडल के कार्य निष्पादन के लिए, क्षेत्रीय मुख्यालयों द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और मुख्यालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मंडल प्रयासरत रहता है. 2) कार्यों के निर्वहन के लिए नियमों और विनियमों का ज्ञान होना चाहिए. 3) ड्यूटी से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन. 4) अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय.
4(b) (v)	इसके द्वारा धारित या इसके नियंत्रण में या इसके कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकार्ड।	<p>कार्यों के निर्वहन के लिए, विभिन्न नियमावली, रेलवे बोर्ड के परिपत्र और क्षेत्रीय मुख्यालय से पारित निर्देश और अनुदेशों का उपयोग किए जाते हैं. उनमें से कुछ हैं:-</p> <ol style="list-style-type: none"> १) स्थापना कोड 2) वित्तीय कोड 3) इंजीनियरी कोड 4) सामान्य और सहायक नियम 5) स्थायी रेलपथ मैनुअल 6) पुल मैनुअल 7) कार्य मैनुअल <p>विवरण के लिए कृपया लिंक का अनुसरण करें https://indianrailways.gov.in/railwayboard/view_section.jsp?lang=0&id=0,5,377</p>
4(b) (vi)	इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण।	सामान्य और सहायक नियमों के अनुसार, स्थापना कोड, वित्तीय कोड, इंजीनियरी कोड, सामान्य और सहायक नियम, स्थायी रेलपथ मैनुअल, पुल मैनुअल, कार्य मैनुअल, दुर्घटना मैनुअल, इसके अलावा रेलवे बोर्ड/क्षेत्रीय रेलवे/मंडल कार्यालय से समय-समय पर जारी नीति परिपत्र/महत्वपूर्ण पत्र/निर्देश/संयुक्त प्रक्रिया आदेश आदि.

4(b)(vii)	किसी भी व्यवस्था का विवरण जो जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है, इसकी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में।	- लागू नहीं हैं -
(b)(viii)	बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का एक बयान जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, जो इसके हिस्से के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित हैं, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सूलभ हैं।	- लागू नहीं हैं -
4(b)(ix)	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका।	विजयवाड़ा मंडल, इंजीनियरी विभाग के फोन नंबर: https://scr.indianrailways.gov.in/cris/uploads/files/1623735676090-Phone% 20nos..pdf
4(b) (x)	इसके नियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली सहित, इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक।	अधिकारियों और कर्मचारियों के निर्दिष्ट ग्रेड के लिए, वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा तय किया जाता है। विजयवाड़ा मंडल के अधिकारी और कर्मचारियों का नवीनतम वेतन डॉटा मासिक आधार पर, वेब साइट पर अपडेट किया जाता है।
4(b) (xi)	अपनी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिसमें सभी पैस, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट का विवरण होता है।	पिंक बुक, कानून एवं राजस्व अनुदान के तहत, विभिन्न कार्यों का व्यय किया जाता है। कार्यों के महत्व और अत्यावश्यकता के आधार पर बजट का आबंटन किया जाता है। समय-समय पर समीक्षा की जाती है और तदनुसार आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किए जाते हैं।
4(b) (xii)	आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के विवरण सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका।	- लागू नहीं हैं -
4(b)(xiii)	इसके द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण।	- लागू नहीं हैं -
4(b)(xiv)	उपलब्ध या धारित सूचना के संबंध में विवरण, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम किया गया है।	कोड और मैनुअल भारतीय रेलवे की वेब साइट लिंक पर उपलब्ध है: https://indianrailways.gov.in/railwayboard/view_section.jsp?lang=0&id=0, 5,377
4(b) (xv)	जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के काम के घंटे शामिल हैं, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए	

	बनाए रखा गया है।	-कुछ नहीं-
4(b)(xvi)	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण।	अपीलीय प्राधिकारी –वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/ समन्वयन/विजयवाड़ा रेलवे . ऑटो नं.: 67500; कार्यालय फोन नं. : 0866- 2767500 रेलवे ऑटो नं. : 67500 कार्यालय फोन नं. : 0866-2767500
4(b)(xvii)	इस तरह की अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है और उसके बाद हर साल इन प्रकाशनों को अद्यतन किया जा सकता है।	-कुछ नहीं-
4(1)(b) (xviii)	राजस्व विभाग में इनकंबेंसी की स्थिति	- लागू नहीं -